



Neutral Citation No. -2026:AHC:127335

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19800 वर्ष 2026

आलोक राघव @ अंकुश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अनीस बेग

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. दिनांक 05.06.2026 की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनाकर्ता/प्रतिपक्षी संख्या-2 को नोटिस दिया गया है। नोटिस तामील होने के बावजूद कोई भी इस जमानत आवेदन का विरोध करता नजर नहीं आता है।
3. प्रस्तुत जमानत याचिका दायर कर मुकदमा अपराध संख्या-160 वर्ष 2026 में धारा 137(2), 64 बी.एन.एस. और धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कासगंज, जिला कासगंज के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
4. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु 17 वर्ष थी, हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की दिनांक 24.03.2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगभग 18 वर्ष थी। आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया था और यह अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि आवेदक उसका प्रेमी था और वह तीन रातों तक आवेदक के घर में रही। पीड़िता ने कहा कि बलात्कार का अपराध आवेदक ने उसकी मां, दो बहनों और एक भाई की उपस्थिति में किया था। पीड़िता का बयान अभियोजन पक्ष के मामले में ज्यादा विश्वास पैदा नहीं करता है और वह एक सहमति देने वाली पक्ष प्रतीत होती है। पीड़िता ने तीन दिन बाद आवेदक का साथ छोड़ दिया और एक अन्य लड़के करण के साथ हरियाणा चली गई। आवेदक का मामला अन्य सह-अभियुक्त के मामले से अलग है। आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और दो वयस्कों के बीच सहमति से संबंध को गलत तरीके से और अवैध रूप से बलात्कार के अपराध में बदल दिया गया है। आवेदक और पीड़ित के कॉल डिटेल अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वे कथित घटना से पहले एक-दूसरे के संपर्क में थे। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 23.03.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. तत्सम विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक- आलोक राघव @ अंकुश, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

निर्णय

Translated Version. Not for Legal Use.